

राजस्व घण्डल म०प्र० ग्वालियर (सर्किट कोटी) रैथा
पुकार फ़ाक्ट एच्ट-४७६-तीन/१४

स्थि. ४७६-३३/१५

1. देवमती बेवा सुरेन्द्र कुमार त्रिपाठी
2. रमाकान्त त्रिपाठी पिता हरबक्स राम त्रिपाठी,
सभी निवासी ग्राम—गहनौवा, तहसील—सिरमौर, जिला—रीवा (म०प्र०)

पुर्नविलोकनकर्ता / आवेदकगण

सर्किट कोटी रीवा

1. नारोश्वर प्रसाद पिता गजाधर, निवासी ग्राम—गहनौवा,
तहसील—सिरमौर, जिला—रीवा (म०प्र०)
2. शासन मध्यप्रदेश, द्वारा—राजस्व निरीक्षक सिरमौर.

बनाम

उत्तरदाता / अनावेदकगण

प्रकरण निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक
09.03.2012 न्यायालय अपर जिलाध्यक्ष
रीवा.

आवेदन—पत्र बावत् पुर्नस्थापित किए जाने
हेतु अंतर्गत धारा—35(3) भू—राजस्व संहिता.

आवेदन—पत्र बावत् पुर्नविलोकन (रिव्यू)

आदेश दिनांक 25.01.2014 प्रकरण क्र.
336/II/13 के पुर्नस्थापित होने के संबंध
में अंतर्गत धारा 51 भू—राजस्व संहिता.

मान्यवर,

पुर्नविलोकन आवेदन—पत्र के आधार निम्नलिखित हैं :-

देवमती १०१८९

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

पुनरावलोकन प्रकरण क्रमांक : 876/III/ 2014

स्थान तथा
दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

जिला रीवा
पक्षकारों एवं
अभिभाषकों
के हस्ताक्षर

९.४.२०१५

म०प्र० भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के
अंतर्गत यह पुनरावलोकन आवेदन न्यायालयीन
पुनरावलोकन प्रकरण क्रमांक 336 / ।। / 2013 में पारित
आदेश दिनांक 25-01-2014 को पुनरावलोकन में लेकर
सुनवाई करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने
तथा आदेश दि. 25-1-14 का अवलोकन किया गया।

3/ प्रकरण में विचार योग्य विन्दु है कि किसी
आदेश का एकवार पुनरावलोकन किया जा चुका है तब
क्या उसी आदेश का फिर से पुनरावलोकन किया जा
सकता है ?

भू राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) — धारा 51 —
पुनर्विलोकन केवल एक बार — यह सुरक्षाप्रिय
विधि है कि पुनर्विलोकन में पारित आदेश के
विरुद्ध पुनः पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता।

अतएव पुनर्विलोकन आवेदन अग्राह्य होने से अमान्य
किया जाता है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय
को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा
किया जावे।


(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर